बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजाति) योजना

पेड़ लगायें, पेड़ बचायें, घर–घर में खुशहाली लायें

- **योजना का उद्देश्य :–** उद्यमियों/कृषकों के माध्यम से पौधशाला स्थापना से अलग–अलग प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता के अधिक संख्या में पौधे तैयार होंगे जिससे वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही किसान बन्धुओं/उद्यमियों की आय के साथ–साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी।
- **प्रजाति :–** सागवान, सेमल, गम्हार, महोगनी, यूकेलिप्टस, अमलतास, महुआ, नीम, शीशम, बांस, अर्जुन, बकैन, करंज, बबुल, खैर इत्यादि। प्रत्येक पौधशाला के लिए प्रजातिवार संख्या आवंटन के साथ इंगित किया जायेगा।
- **पौधशाला के लिए सहयोग :–** पौधशाला स्थापना के लिए न्यूनतम दर पर पॉलिथिन उपलब्ध कराने में सहयोग किया जायेगा। गोबर, खाद, रसायनिक खाद, पौधशाला उपकरण भी न्यूनतम दर पर पौधशाला संचालकों द्वारा क्रय कराये जाने में सहयोग किया जायेगा।
- **कृषकों/लाभुकों को लाभ :–**
  पौधों (छोटे ट्यूब) के लिए कुल राशि (अधिकतम रू0 11) दो किस्तों में (प्रथम किस्त देय राशि का 40 प्रतिशत, माह फरवरी में) भुगतान किया जायेगा।
- **योजना में शामिल जिलों का नाम :–** बिहार के सभी जिले।
- **योजना में शामिल होने के लिए पात्रता :–**
  - ❖ आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम–से–कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन होनी चाहिए।
  - ❖ जमीन समतल, ऊँची जल–जमाव मुक्त होनी चाहिए।
  - ❖ पौधशाला संचालन में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - **आवेदन कहाँ करें :–** इच्छुक किसान की जिस जिले में पौधशाला लगाने हेतु जमीन हो, उसी जिले के स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में अथवा वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी अथवा संबंधित जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें। hariyalimission@gmail.com पर–मेल करें
- **आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात :–**

  (1) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र।

  (2) अद्यतन लगान रसीद।

  (3) एकरारनामा की रसीद (यदि जमीन लीज पर ली गयी हो), लीज डीड की छायाप्रति।

  (4) बैंक पासबुक की छायाप्रति। जिसमें रूपयें 20,000/– होने चाहिए।

विस्तृत जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय से या विभाग की वेबसाईट www.forest.bih.nic से प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए hariyalimission@gmail.com पर मेल करें ।

आवेदन प्रपत्र

1. वन प्रमंडल का नाम :– .... 2. जिला का नाम :– ....
3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :– .... 4. प्रखंड का नाम :– ....
5. आवेदक का नाम :– ....
6. पिता/पति का नाम :– ....
7. पेशा :– ....
8. जन्म तिथि :– ....
9. स्थायी पता :– ....
....
10. वर्त्तमान पत्राचार का पता :– ....
(दूरभाष/मोबाईल नं0) ....
11. ई–मेल (यदि हो) :– ....
12. पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र.सं.	खाता नं0	खेसरा	रकवा	रसीद सं0/वर्ष

13. पौधशाला हेतु उपलब्ध सिंचाई सुविधा :– (सुविधा के विवरणी एवं आवेदित प्लॉट से दूरी अंकित करें)
14. पौधशाला की प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था :–
15. प्रशिक्षित हैं/प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कृपया ✓ करें)
16. पौधशाला संचालन का अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।
1. पौधशाला में उगाये जाने वाले पौधों का रोपण स्थल संबंधित जानकारी
2. बैंक में पूंजी की स्थिति (प्रमाण के रूप में पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)।
3. बैंक खाता विवरणी :–

बैंक खाता नं0	बैंक का नाम एवं शाखा	IFSC कोड

17. घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधाशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करूँगा एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। कालांतर में उक्त सूचना गलत साबित होने पर मेरे पौधशाला आवंटन को रद्द किया जा सकता है तथा राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

संलग्न अभिलेख की विवरणी :–

1.

2.

3.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
तिथि के साथ